8 सितम्बर 2018 को इंदौर में जिला कोर्ट परिसर के निर्माण हेतु आयोजित शिलान्यास समारोह के अवसर पर माननीय लोक सभा अध्यक्ष का भाषण।

———

1. पीपल्याहाना तालाब के निकट जिला अदालत कॉम्पलेक्स, इंदौर के निर्माण के शिलान्यास के शुभ अवसर पर आज यहां आकर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने रूचि लेकर जजों, अधिवक्ताओं और जनता के लिए बेहतर infrastructure facilities उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शीघ्र निर्माण कार्य शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं।

2. न्यायालय के भवन मात्र भवन नहीं होते हैं, उनमें न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास की भावना भी निहित होती है। न्यायालय के वास्तु का भी विशेष महत्व होता है। जितनी सशक्त भावना के साथ इमारत खड़ी होती है, उतना ही न्याय के प्रति जनता का विश्वास भी सशक्त होता है। किसी भी शासन व्यवस्था में न्यायालय की सदैव विशिष्ट भूमिका रही है और लोगों की उनके प्रति श्रद्धा और आस्था समाज में व्यवस्था लाती है। यह समाज को विधिवत् रूप से संचालित करने के लिए एवं व्यवस्थित रखने के लिए शासन–व्यवस्था का अत्यन्त अनिवार्य अंग है।

3. हम सभी जानते हैं कि इस जिला न्यायालय की स्थापना सन् 1905 महाराजा तुकोजीराव होल्कर जी द्वारा की गई थीं जिसमें पांच courts खोले गए थे। वर्तमान में इन्दौर जिला न्यायालय की judicial officers की sanctioned strength 179 हैं और वर्तमान में केवल 55 कोर्ट ही कार्यरत हैं। अनेक कोर्ट में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है।

4. मुझे आशा है कि इस नए कोर्ट परिसर के निर्माण से कोर्ट के न्यायाधीशों, अधिकारियों, कर्मचारियों और जनता के लिए समुचित कक्ष के साथ–साथ वकीलों के लिए पर्याप्त मात्रा में चैम्बर्स के अतिरिक्त सभी संबद्ध सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी जैसे कंप्यूटराइज्ड फाइलिंग सेंटर, पंजीकरण कक्ष, मालखाना, नजारत सेक्शन इत्यादि। मुझे बताया गया है कि इसमें 167 कोर्ट रूम एवं 800 अभिभाषकों के चैम्बर्स का निर्माण होगा जो सभी सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। इससे कोर्ट में आने वाले जजों, वकीलों, मुवक्किलों, एवं आगंतुकों को कोर्ट के काम में सुविधा होगी।

5. जिस प्रकार मंदिर आस्था और विश्वास के पवित्र स्थल होते हैं, उसी प्रकार न्याय की दृष्टि से न्यायालय किसी राज्य की आम जनता को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ आस्था एवं विश्वास के सुव्यवस्थापित केन्द्र होते हैं।

6. वर्तमान समय में अपराध भी बहुत hi-tech हो गए हैं, तो हमें अपनी न्याय प्रणाली में भी तकनीक का उपयोग करना होगा। तभी तो हम अपने नागरिकों को सहज एवं सरल रूप में न्याय दिला सकेंगे। तो नए कोर्ट परिसर में भी ये सभी मूलभूत सुविधाओं और तकनीकों का प्रावधान किया जा रहा है।

7. न्यायालय में रिकार्ड संग्रहण एवं justice delivery mechanism के सुव्यवस्थित हो जाने से लोगों को द्रुत गति से न्याय मिल सकेगा क्योंकि एक जैसे मामलों में विनिर्णय लेना न्यायाधीशों के लिए आसान हो सकेगा क्योंकि उनके सामने court records, judgement इत्यादि एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे।

8. यह समझना जरूरी है कि Justice delayed means Justice denied. अतः, न्याय की परिभाषा में भी यह कार्य सर्वथा उपयुक्त होगा। Justice delivery system में तीव्रता लाना हमारी न्यायिक व्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। अतः, व्यवस्था के प्रति विश्वास और दृढ़ हो, इसके लिए न्याय की गति उचित एवं तीव्र होनी चाहिए। मैं समझती हूं कि शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में हम एक कदम आगे बढ़े हैं।

9. आज बदलते समय में building construction technology काफी आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल हो गई है। सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त परंतु पर्यावरण का ध्यान रखते हुए जिला अदालत परिसर का निर्माण किया जाएगा, मैं ऐसी आशा करती हूं।

10. जिला अभिभाषक संघ, इन्दौर के अध्यक्ष भी यहां उपस्थित हैं। मैं समझती हूं कि पर्यावरण के प्रति उनकी चिन्ताएं भी महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि यहां कोर्ट परिसर बनने से पीपल्याहाना तालाब को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, निर्माण के दौरान एवं निर्माण पश्चात् भी इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा।

11. जल संसाधन की सुरक्षा के प्रति मेरा सदैव आग्रह रहा है। मैं चाहती हूं कि पीपल्याहाना तालाब के सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए एवं यह सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं समझती हूं कि सभी इंदौरवासी जागरूक हैं और जल संरक्षण की आवश्यकता की महत्ता को समझते हैं।

12. मित्रो, मुझे विश्वास है कि पर्यावरण अनुकूल बिल्डिंग के निर्माण से विकास और पर्यावरण, दोनों कार्य एक साथ हो सकेगा। सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण को हरा–भरा रखने और तालाबों की सुरक्षा हम सभी का ध्येय होना चाहिए। मैं समझती हूं कि इस निर्माण कार्य में संबंधित अधिकारीगण

उन सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए sustainable construction करेंगे।

13. मैं चाहती हूं कि यह जिला कोर्ट परिसर भविष्य के कोर्ट परिसर के निर्माण के लिए रोल मॉडल बने। मुझे उम्मीद है कि इस बिल्डिंग में Modern Rain water harvesting, Solar energy, एलईडी लाइटों, एवं बिजली बचाने वाली आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। यह बिल्डिंग सही मायनों में एक आदर्श बिल्डिंग होगी।

14. भारत में भूमि पूजन को विशेष महत्व दिया जाता है। आज भवन निर्माण की नींव रखते समय सबसे पहले हम इसका चिंतन करें कि पर्यावरण और धरती को हानि पहुंचाए बिना प्रगति के कार्य का शुभारंभ करें। धरती तो हमारी माता है। कुछ भी करने से पहले उनकी अनुमति बहुत आवश्यक है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित हैः–

''समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमंडिते।

विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वमे।।''

(इसका अर्थ है समुद्ररूपी वस्त्र धारण करनेवाली, पर्वतरूपी स्तनोंवाली एवं भगवान श्रीविष्णु की पत्नी हे भूमिदेवी! मैं आपको नमस्कार करता हूं। मेरे पैरों का आपको स्पर्श होगा। इस धृष्टता के लिए आप मुझे क्षमा करें।)

15. अतः भूमिपूजन के इस पावन अवसर पर मैं मां वसुंधरा की प्रार्थना करते हुए जिला अदालत परिसर के निर्माण के कार्य का इस मंत्रोच्चार के साथ श्रीगणेश करती हूं।

''वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ।

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।।''

धन्यवाद ।

————